न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 24/2022

उनवान : —

1. अक्षयकुमार पुत्र भूपसिंह जाति सुनार निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
2. अलीशा सोनी पुत्री भूपसिंह जाति सुनार निवासी मलखेड़ा त0 भादरा — प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री मुंशीराम गोस्वामी प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 30.11.22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 17 एएमएस के खाता सं0 41/11 के मु0न0 38 के किला न0 12 ता 18, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 मु0न0 39 के किला न0 10, 11, 20, 21/1, 21/2 मु0न0 49 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 21 की कुल 5.819है0 बारानी खातेदारी में रवि पुत्र भूपसिंह व सोनू पुत्री भूपसिंह के नाम 1/27—1/27 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थीगण के नाम रवि पुत्र भूपसिंह व सोनू पुत्री भूपसिंह राजस्व रिकार्ड में विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय सवहन से ये नाम दर्ज हो गये जबकि प्रार्थीगण का सही नाम अक्षय कुमार पुत्र भूपसिंह व अलीशा पुत्री भूपसिंह है। प्रार्थीगण के सभी दस्तावेजों में सही नाम अक्षयकुमार व अलीशा पुत्री भूपसिंह ही दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने की वजह से प्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के नियमित उपयोग—उपभोग से वंचित है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया तथा तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने बयान किया कि प्रार्थीगण सगे भाई बहिन है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु होने पर विरासतन नामान्तरण खोला गया तब प्रार्थीगण का नाम सवहन से राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज कर दिया गया जबकि सही नाम अक्षय कुमार व अलीशा है। तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट में भी उक्त नाम संशोधन की अनुशंषा की गई है अतः प्रार्थीगण का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:43:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात यथा पहचान पत्र , आयकर विभाग, आधार कार्ड, अंक तालिका, पारिवारिक राशन कार्ड में नाम अक्षय कुमार व अलीशा सोनी ही दर्ज है तथा तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट के अनुसार विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय संवहन से रवि व सोनू नाम दर्ज किये गये है जबकि सही नाम अक्षय कुमार व अलीशा सोनी दर्ज किया जाना उचित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 17 एएमएस के खाता सं0 41/11 के मु0न0 38 के किला न0 12 ता 18, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 मु0न0 39 के किला न0 10, 11, 20, 21/1, 21/2 मु0न0 49 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 21 की कुल 5.819है0 बारानी खातेदारी में रवि पुत्र भूपसिंह व सोनू पुत्री भूपसिंह के नाम 1/27-1/27 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।, में रवि पुत्र भूपसिंह के स्थान पर अक्षय कुमार पुत्र भूपसिंह तथा सोनू पुत्री भूपसिंह के स्थान पर अलीशा सोनी पुत्री भूपसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि रवि पुत्र भूपसिंह तथा सोनू पुत्री भूपसिंह के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थीगण के नाम रवि पुत्र भूपसिंह तथा सोनू पुत्री भूपसिंह ही लागू होंगे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:43:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner